Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

संधृत कृषि विकास हेतु भूमि उपयोग दक्षता का मापन एवं नियोजन (तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली, उ0 प्र0 का एक भौगोलिक विश्लेषण)

डॉ0 आर0 एस0 चन्देल

एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग,

कमला नेहरु स्नातकोत्तर महाविद्यालय तेजगाँव, रायबरेली, उ0 प्र0

Article Info

Volume 4, Issue 3

Page Number : 181-193

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 01 June 2021

Published : 15 June 2021

शोधसार– "भारत गाँवों का देश है। भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। अतः गाँवों के विकास से ही भारत का विकास सम्भव है (*महात्मा गाँधी*)"। गाँवों के विकास में कृषि की भूमिका सर्वविदित है, क्योंकि प्राचीन काल से ही ग्रामीण वासियों का प्रमुख आर्थिक व्यवसाय कृषि एवं तत्सम्बन्धी अनुषंगीय व्यवसाय ही रहा है। इस प्रकार देश की ग्रामीण जनसंख्या के अधिकांश लोगों के लिए कृषि जीवन पद्धति का प्रमुख आधार है। भारत में धरातलीय विविधता, मृदा विविधता, मौसमी अनिश्चितता, सिंचाई सुविधाओं की कमी, खेतिहर भूमि की उपलब्धि, समीपता एवं बिखराव, पांरम्परिक जीविकोपार्जित कृषि व्यवस्था आदि के कारण कृषि में विविधता प्रारम्भ से ही रही है। कृषि को जीवन यापन के साधन के साथ ही साथ इसे व्यावसायिक रुप प्रदान करना भी वांछनीय है। व्यावसायिक कृषि के प्रोत्साहन में सिंचाई, उन्नतशील बीजों, जैव उर्वरकों, कीटनाशकों एवं आधुनिक मशीनों व यन्त्रों के प्रयोग आदि का विशेष योगदान हो सकता है। साथ ही साथ कृषि एवं तत्सम्बन्धी अनुषंगीय व्यवसाय के सर्वांगीण विकास तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों की प्रत्युत्पन्नता हेतु भूमि एक आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है इसलिए जनमानस की आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में भूमि अपनी मात्रात्मक एवं गुणात्मक क्षमतानुसार एक संसाधन के रूप में परिभाषित हो जाती है। भूमि उपयोग एक गत्यात्मक तत्व है, जो भौतिक दशाओं में परिवर्तन तथा मानव के सामाजिक–आर्थिक विकास, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप परिवर्तित, परिष्कृत एवं परिमार्जित होता रहता है। अतः संधृत कृषि विकास तभी संभव है जब किसी भौगोलिक क्षेत्र की भूमि उपयोग दक्षता विश्लेषित एवं

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

निर्धारित हो। इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखकर भूमि उपयोग दक्षता के निर्धारण हेतु प्रतीक अध्ययन के रूप में तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली, उ0 प्र0 का चयन किया गया है।

शीर्ष शब्द : जीविकोपार्जित कृषि, संधृत कृषि विकास कृषि अनुषंगीय व्यवसाय, व्यावसायिक कृषि, भूमि संसाधन उपयोग भूमि उपयोग दक्षता, मात्रात्मक गुणात्मक, अवस्थापनात्मक तत्व।

प्रस्तावना : कृषि हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के साथ–साथ विकास की भी जननी रही है। यह भौतिक महत्व के अलावा जीवन की एक प्रणाली है जो कि मानवीय मूल्यों में अनुपम एवं अद्वितीय है। भारत में कृषि व्यवसाय प्राचीन काल से ही अनुकूल भौगोलिक दशाओं के अनुसार ग्रामीण अर्थतन्त्र की आधारशिला रही है। फलतः ग्रामीण विकास की समग्र योजनाएँ कृषि एवं कृषि अनुषंगीय व्यवसाय के विकास पर ही केन्द्रित होती हैं (मिश्रा, 1985)। ग्रामीण जनमानस की अधिकांश आवश्यकताओं की आपूर्ति कृषि प्रखण्ड से ही होती है। अतः ग्रामीण जनमानस के आर्थिक विकास में कृषि एवं कृषि अनुषंगीय व्यवसाय की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

आर्थिक विकास में कृषि एवं उद्योग के प्राथमिक महत्व को लेकर विद्वानों में यद्यपि विवाद रहा है, तथापि आर्थिक विकास हेतु अधिकांश विद्वान कृषि को ही प्राथमिकता देते हैं (पदहीए टण्ठण् 1990)। 18वीं सदी के पूर्व में फ्रांस में विकसित 'फिजियोक्रेटिक' सम्प्रदाय के प्रर्वतक क्वेसने महोदय के अनुसार कृष्येत्तर आर्थिक प्रखण्डों की प्रगति दर कृषि की प्रगति दर द्वारा निर्धारित होती है। इन्होंने कृषि के उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषिगत पूंजी निर्माण को अनिवार्य बताया। इनकी मान्यता थी कि किसी अर्थतन्त्र में विक्रय योग्य उत्पादन की प्रभावी मांग पर गुणक प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुसार किसी देश/क्षेत्र का आर्थिक विकास/ग्रामीण विकास कृषिगत प्रगति के बिना असंभव है और अर्थतन्त्र के औद्योगिक एवं अन्य प्रखण्ड कृषि पर आधारित होते हैं, क्योंकि औद्योगिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग आर्थिक अतिरेक की मात्रा पर, जो पूर्णतया कृषि से प्राप्त होती है। जब प्राविधिक परिवर्तन द्वारा कृषिगत उत्पादकता उस स्तर पर पहुँच जाय कि कृषि उत्पादन न सिर्फ कृषि में संलग्न जनसंख्या वरन् कृषि से उद्योग में प्रव्रजित जनसंख्या के भरण–पोषण में समर्थ हो, तभी आर्थिक प्रगति की आवश्यक दशाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार बिना कृषि विकास के ग्रामीण विकास संभव नहीं है और कृषि विकास तभी संभव जब किसी भौगोलिक क्षेत्र की भूमि

उपयोग दक्षता विश्लेषित एवं निर्धारित हो। इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखकर भूमि उपयोग दक्षता के निर्धारण हेतु प्रतीक अध्ययन के रूप में तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली, उ0 प्र0 का चयन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य एवं विधितंत्र– वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संधृत कृषि विकास हेतु भूमि उपयोग दक्षता का निर्धारण करना अध्ययन का मूल उद्देश्य है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता के जीवन शैली में गुणात्मक और मात्रात्मक सृजन हेतु संधृत विकास सुझाव प्रस्तावित करना है। शोध उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विषयवस्तु से सम्बंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण तहसील, विकासखण्ड, न्यायपंचायत एवं चयनित ग्राम स्तर पर किया गया है। भूमि उपयोग दक्षता का निर्धारण (*भाटिया, 1967*) कोटि गणना के आधार पर किया गया है। इसके लिए न्यायपंचायतवार भूमि उपयोग के छः तत्वों यथा वन भूमि, कृषि अयोग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, शुद्ध कृषित भूमि, सिंचित एवं दो फसली भूमि के मान को अवरोही एवं आरोही क्रमानुसार सुसज्जित किया गया है। तत्पश्चात् भूमि उपयोग दक्षता गणना के आधार पर दक्षता स्तर को मुख्यतः चार श्रेणियों यथा उच्च, मध्यम निम्न एवं अतिनिम्न में विभाजित किया गया है। संधृत कृषि विकास से सम्बन्धित विविध तत्वों का न सिर्फ स्थानिक अपितु कालिक वितरण प्रारूप का भी विश्लेषण एवं भूमि उपयोग दक्षता से सम्बन्धित तत्वों में परिवर्तन की प्रवृत्ति को जानने के लिए 1990–91 एवं 2019–20 वर्ष को काल संदर्भ के रूप में अंगीकार किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक व्यक्तित्व – संधृत कृषि विकास को ध्यान में रखकर भूमि उपयोग दक्षता के निर्धारण हेतु तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली, उ 0 प्र0 का चयन किया गया है, जिसकी स्थित 26^0 1′ से 26^0 14′ उत्तरी अक्षांश तथा 80^0 58′ से 81^0 8′ पूर्वी देशान्तर के मध्य है। अध्ययन क्षेत्र में संधृत कृषि विकास से सम्बन्धित यथा– भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हुए विकास एवं भविष्य में विकास हेतु जो संभावनाएं विद्यमान हैं, उनका संधृत नियोजन जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास किया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से डलमऊ तहसील में 2 विकासखण्ड (डलमऊ एवं दीनशाहगौरा), 21 न्यायपंचायतें तथा 212 गॉव समाहित हैं जिसमें 17 गॉव ऐहतमाली हैं इसमें 2 गॉव गैर आबाद तथा 2 गॉव (चखाजीपुर, परषुरामपुर) मुस्तकिल हैं। डलमऊ विकासखण्ड के अन्तर्गत 13 न्यायपंचायतें तथा दीनशाहगौरा विकासखण्ड के अतंर्गत 8 न्यायपंचायतें समाहित हैं। तहसील का कुल क्षेत्रफल 41666 हे0 है तथा कुल 292749 (2011) लोग निवास करते है, जिसमें 150522 पुरूष (51.42 प्रतिशत) तथा 142227 स्त्रियॉ (48.58 प्रतिशत) हैं। अध्ययन क्षेत्र समुद्र तल से लगभाग 87 से 120 मीटर की ऊॅचाई पर स्थित है। धरातलीय दृष्टि से यह मध्य गंगा मैदान की ही तरह सामान्य समतल होने के साथ–साथ प्रवाह ढाल पश्चिमोत्तर से

दक्षिण–पूर्व की ओर है। यहॉ गंगा का प्रवाह धनुषाकार है। मथना नदी जो दक्षिण दिशा को बहती हुई तहसील की दक्षिणी सीमा निर्धारित करने वाली उत्तरवाहिनी पवित्र गंगा नदी में विलीन हो जाती है। यहॉ सामान्यतया बलुई दोमट मृदा पायी जाती है तथा कहीं–कहीं ऊसर भूमि भी पायी जाती है। जलवायु की दृष्टि से यह क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अन्तर्गत आता है।

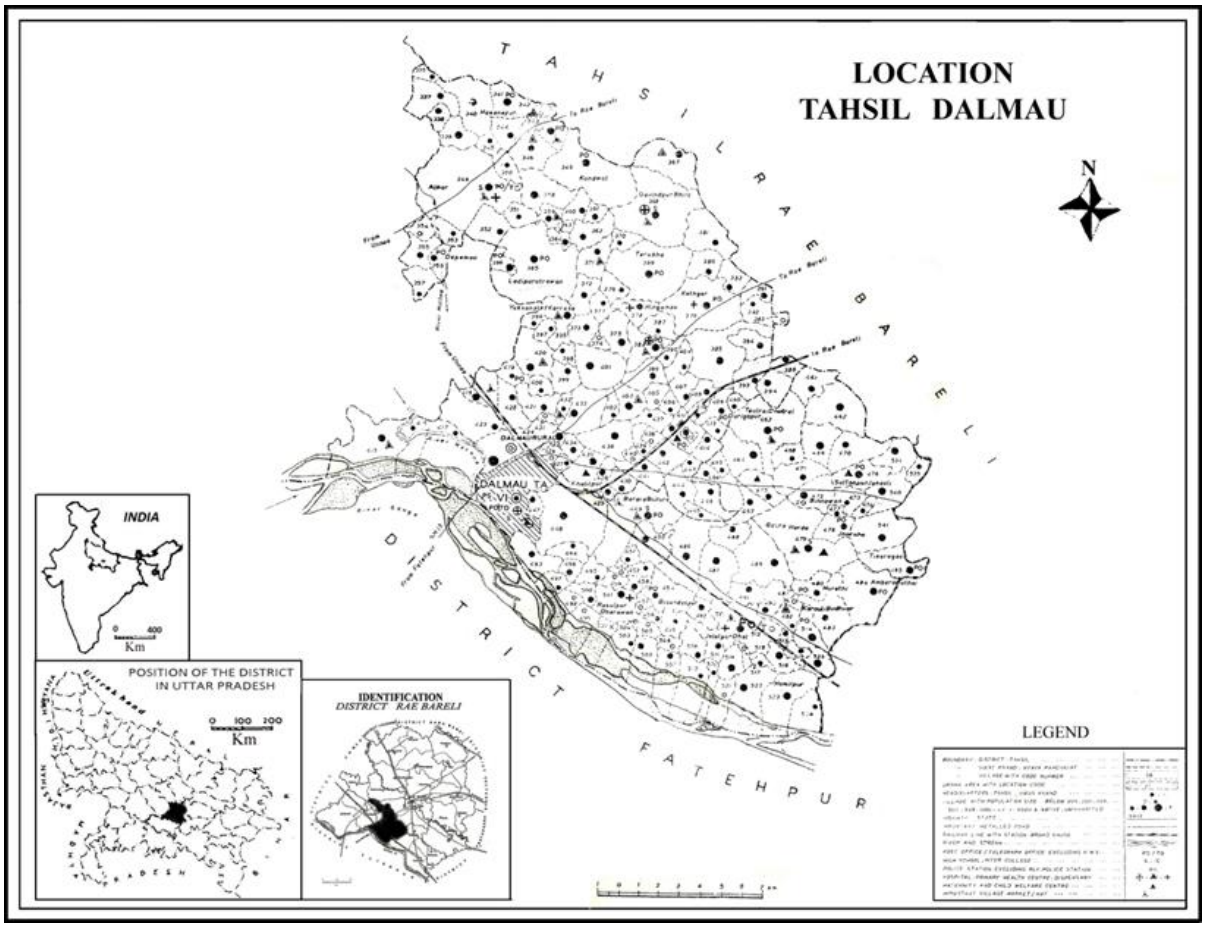

मानचित्र –1

डलमऊ तहसील मुख्यालय जनपद मुख्यालय रायबरेली से 30 किमी0 की दूरी पर दक्षिण दिशा में पतित पावनी गंगा के बायें किनारे पर स्थित है। डलमऊ कस्बा आध्यात्मिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के साथ–साथ वीरता एवं शौर्य का भी परिचायक रहा है। पराक्रमी भार शिव राजा डलदेव के नाम से ही इस कस्बा का नाम डलमऊ पड़ा। राजा डलदेव का शासन काल 1402 ई0 से 1421 ई0 तक माना जाता है। इस कस्बा का पंजीकरण 1893 ई0 को हुआ था। इस दृष्टि से डलमऊ कस्बा 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। डलमऊ को 'हिन्दुत्व' नाम पुस्तक में रैवत मनवन्तर का 28वॉ सतयुग कहा जाता है (*डलमऊ दर्शन,*

2001, पृष्ठ 39–63)। यह वह समय है जो कि महाभारत के पहले का है जिस समय पाण्डवों को लाक्षागृह में रखकर दुर्योधन ने उन्हें जलाने की कोशिष की थी वह स्थान लाक्षागृह वनस्थली डलमऊ में था उस समय डलमऊ की भूमि एक विशाल मैदानी वनस्थली के रूप में थी जो महर्षि दालभ्य की तपस्थली रहा है।

सामान्यतः तहसील जीवन निर्वाहक कृषि क्रियाकलापों वाला क्षेत्र है जहॉ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 58.16 प्रतिशत भूमि के अन्तर्गत है जिसमें मुख्य रूप से धान, गेंहूॅ तथा अन्य मोटे अनाज वाली फसलों की खेती की जाती है। तहसील वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा कृषि अनुषंगीय व्यवसाय होने के कारण कार्यशील जनसंख्या के लगभग 80 प्रतिशत से अधिक इन्हीं क्रियाओं में संलग्न हैं। सामाजिक – आर्थिक रूप से पिछड़ा ग्रामवासी क्रमशः शैक्षिक विकास के कारण राजनैतिक चेतना में प्रबुद्ध हुआ है जो निश्चय ही संधृत कृषि विकास की तरफ संकेत देता है। तहसील में अवस्थापनात्मक तत्व पूर्णरूपेण विकसित एवं वितरित नहीं है फिर भी कुछ क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार के माध्यम से लोगों के सांस्कृतिक पक्ष को उजागर किया है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि तो हुआ है लेकिन पास्थितिकीय तन्त्र में गिरावट दृष्टिगत हो रहा है।

सम्प्रति कृषि तथा तत्सम्बंधी क्रियाकलाप, मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता एवं अनियमितता, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, कृषि निवेश एवं प्रोद्यौगिकी का अवैज्ञानिक तरीके से प्रयोग, अनियोजित कृषि पद्धति, पूर्णकालिक रोजगार न मिलने से सीमान्त कर्मकरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि, परिवहन एवं संचार के साधनों में कमी एवं गिरावट, सड़कों की दयनीय स्थिति, सामाजिक रूढ़िवादिता एवं ग्रामीण निर्धनता तहसील की सर्वप्रमुख समस्या है। अतएव इस गतिरोध को दूर करने के लिए उपरोक्त समस्याओं के निदान एवं परिवर्तन हेतु ग्रामीण वासियों एवं सरकारी तन्त्र को कन्धे से कन्धा मिलाकर संधृत कृषि विकास की प्रक्रिया को और गतिमान करना होगा।

भूमि उपयोग दक्षता

भूमि उपयोग अध्ययन में भूमि उपयोग दक्षता का निर्धारण एक महत्वपूर्ण पक्ष है। किसी भी क्षेत्र या भू–भाग में भूमि उपयोग की दक्षता समान्यतया उस क्षेत्र में विद्यमान भौतिक, समाजार्थिक एवं प्रौद्योगिकी तत्वों के संयोग का द्योतक है। इस प्रकार भूमि उपयोग परिवर्तन भौतिक (समतल धरातलीय, जलवायु एवं मृदा), आर्थिक (खेतों का आकार, कृषि का प्रकार, फसलों का हेर–फेर, सिंचाई एवं यन्त्रीकरण) एवं सामाजिक तत्वों के पारस्परिक क्रियाकलापों पर आधारित होता है। *बारलों एवं जानसन, 1954* ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ''भूमि उपयोग दक्षता, भूमि उपयोग के वृद्धि या विकास को प्रकट करती है तथा यह भूमि सम्बन्धी समस्याओं और नीतियों का केन्द्र है।'' *सिंह, बी. बी.,1994* ने भी स्पष्ट किया है कि ''भूमि संसाधन

उपयोग की मात्रा वास्तव में विभिन्न तत्वों के आपसी क्रियाकलापों या अन्तर्सम्बंधों पर आधारित होती है। किसी विशेष समय या स्थान पर इन तत्वों का संयोग भूमि संसाधन उपयोग की दक्षता को निर्धारित करता है।

कृषि भूगोलवेत्ताओं ने कृषि भूमि उपयोग दक्षता ज्ञात करते समय भूमि उपयोग प्रतिरूप के विभिन्न पक्षों को आधार माना है क्योंकि भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक विभिन्न क्षेत्रों में विविध मात्रा में विभिन्न प्रकार के मिलते हैं जो वन भूमि, कृषि अयोग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, सिंचित भूमि एवं बहुशस्यीय भूमि आदि को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हैं। इसलिए इन सभी तत्वों का तुलनात्मक एवं सामूहिक व्याख्या आवश्यक है। इस प्रकार जो भूमि इकाई सर्वाधिक शुद्ध आर्थिक लाभ प्रदान करने वाली होती है वह उच्चतम भूमि उपयोग दक्षता के अन्तर्गत रखी जाती है।

भूमि उपयोग दक्षता की संकल्पना एवं मापन

भूमि उपयोग दक्षता का निर्धारण किसी भी भूमि से शुद्ध लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है जो भूमि विशेष में निश्चित समय पर प्रयुक्त होने वाले प्राविधिकी स्तर पर निर्भर करता है। जहाँ पर उत्पादन लागत की अपेक्षा शुद्ध लाभ अधिक होता है वहाँ पर भूमि उपयोग दक्षता अधिक होती है। इसके निर्धारण में किसी भी क्षेत्र के कृषित भूमि एवं अकृषित भूमि के साथ–साथ सिंचित तथा बहुशस्यीय भूमि आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। *वारलो ,1954* के अनुसार ''कृषि दक्षता का सम्बंध उस प्रभावोत्पादक क्रिया से है जहाँ पूँजी तथा श्रम के लगातार प्रयोग के आधार पर भूमि की उत्पादन दक्षता में लगातार वृद्धि होती है''। अनेक भूगोलवेत्ताओं तथा अर्थशास्त्रियों ने भूमि उपयोग दक्षता की गणना के लिए विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग किया है। जिनमें *बक (1967)* ने सर्वप्रथम कृषि उत्पादन से प्रतिव्यक्ति उपलब्ध अन्न पर आधारित विधि को अपनाया जिसे ''अन्न तुल्य विधि'' कहा। इसके अलावा *केण्डाल (1939), स्टैम्प (1960), सफी (1960), सप्रे* तथा *देशपाण्डे (1964)* एवं *भाटिया (1967)* आदि विद्वानों के विशेष योगदान उल्लेखनीय है।

प्रस्तुत अध्ययन में भूमि उपयोग दक्षता का निर्धारण *'भाटिया विधि'* द्वारा किया गया है। *भाटिया* महोदय ने भूमि उपयोग दक्षता निर्धारण के लिए चार चरों यथा–कृषि अयोग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, सिंचित भूमि एवं शस्य गहनता का प्रयोग किया है किन्तु प्रस्तुत अध्ययन मे छः चरों यथा वन क्षेत्र, कृषि अयोग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, शुद्ध कृषित भूमि, सिंचित भूमि एवं दो फसली भूमि के मान को आरोही एवं अवरोही क्रमानुसार सुसज्जित किया गया है। इसमें प्रथम तीन श्रेणी (वन भूमि, कृषि अयोग्य भूमि, एवं कृषि योग्य भूमि) के उच्चतम प्रतिषतता को 21 अंक तथा न्यूनतम प्रतिशतता को एक अंक प्रदान किया गया है (चूंकि

न्यायपंचायतों की संख्या 21 है) एवं शेष तीन श्रेणी (शुद्ध कृषित भूमि, सिंचित भूमि एवं दो फसली भूमि) के उच्चतम प्रतिशतता को एक अंक तथा न्यूनतम प्रतिशतता को 21 अंक प्रदान किया गया हैं तत्पश्चात् भूमि उपयोग दक्षता कोटि गणना के आधार पर निर्धारित किया गया।

भूमि उपयोग दक्षता का स्तर एवं वितरण प्रारूप– अध्ययन क्षेत्र तहसील डलमऊ के भूमि उपयोग दक्षता स्तर का निर्धारण कोटि गणना के आधार पर करने के पश्चात् इसे मुख्यतः चार श्रेणियों यथा उच्च, मध्यम, निम्न एवं अतिनिम्न में विभाजित किया गया है क्योंकि यहां भौतिक एवं सांस्कृतिक विविधता पायी जाती है (निम्न सारणी)।

सारणी : भूमि उपयोग दक्षता स्तर का परिवर्तित प्रारूप

दक्षता स्तर	विचलन सूचकांक	न्यायपंचायतों की संख्या	
		1990–91	2019–20
उच्च	0.75 से कम	4	4
मध्यम	0.75 – 1.00	6	6
निम्न	1.00 – 1.25	7	7
अतिनिम्न	1.25 से अधिक	4	4

उच्च भूमि उपयोग दक्षता स्तर– उच्च भूमि उपयोग दक्षता वाली न्यायपंचायतों का विचलन सूचकांक 0.75 प्रतिशत से कम पाया जाता हैं। इस वर्ग में आने वाली न्यायपंचायतों में कृषित भूमि, सिंचित भूमि एवं दो फसली भूमि की मात्रा उच्च पायी जाती है जबकि वन क्षेत्र, कृषि अयोग्य एवं कृषि योग्य भूमि अल्पतम मात्रा में पायी जाती है। इसके परिवर्तित प्रारूप (मानचित्र–2) के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1990–91 में उच्च भूमि उपयोग दक्षता के अन्तर्गत 4 न्यायपंचायतें थीं जिनका मुख्य संकेन्द्रण पश्चिम से दक्षिण पूर्व एक संकरी मेखला के रूप में पाया है जिसमें न्यायपंचायत कोरौलीदमा, मखदूमपुर, जलालपुरधई एवं सुट्ठाहरदो न्यायपंचायते सम्मिलित है। जबकि वर्ष 2019–20 में भी इनकी संख्या 4 ही रह गयी लेकिन उनकी अवस्थिति परिवर्तित होकर कोरौलीदमा, बराराबुजुर्ग, गोविन्दपुरभीरा एवं भरसना न्यायपंचायतों में अवस्थित हो गयी लेकिन इन न्यायपंचायतों में सिंचाई के साधनों में बढ़ोत्तरी होने के साथ–साथ आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग का स्तर उच्च होने के कारण भूमि उपयोग दक्षता में भी बढ़ोत्तरी हुआ है।

मध्यम भूमि उपयोग दक्षता स्तर– इस वर्ग में 0.75 से 1.00 विचलन सूचकांक वाली न्यायपंचायतों को सम्मिलित किया गया है। जहाँ कृषित भूमि, सिंचित भूमि, दो फसली भूमि, वन भूमि, कृषि अयोग्य भूमि एवं कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल औसत रूप में पाया जाता है। परिवर्तित प्रारूप के आधार पर वर्ष 1990–91 में मध्यम भूमि उपयोग दक्षता उत्तरी–पूर्वी भाग में स्थित न्यायपंचायत गौराहरदो, अलावलपुर एवं बिन्नावा, मध्यवर्ती भाग के भरसना एवं बराराबुजुर्ग तथा पश्चिमी भाग के न्यायपंचायत नरसवॉ में पाया जाता थीं। जबकि वर्ष 2019–20 में मध्यम भूमि उपयोग दक्षता वाली न्यायपंचायतों की संख्या 6 ही रही। लेकिन उनकी अवस्थिति परिवर्तित होकर इस वर्ग में आने वाली न्यायपंचायतों में ऐहार, मखदूमपुर, कोरौलीदमा, घुरवारा, अलावलपुर एवं बिन्नावा में अवस्थित हो गयी। क्योंकि इन न्यायपंचायतों में सिंचाई के साधनों में बढ़ोत्तरी होने के साथ–साथ आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग का स्तर उच्च होने के कारण भूमि उपयोग दक्षता में भी बढ़ोत्तरी हुआ है।

निम्न भूमि उपयोग दक्षता स्तर– इस वर्ग में 1.00 से 1.25 विचलन सूचकांक वाली न्यायपंचयतों को सम्मिलित किया गया हैं जहाँ कृषित भूमि, दो फसली भूमि एवं सिंचित भूमि अपेक्षाकृत निम्न होती है तथा वन भूमि, कृषि योग्य भूमि एवं कृषि अयोग्य भूमि का क्षेत्रफल अधिक होता है। इस वर्ग के परिवर्तित प्रारूप पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1990–91 में इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले न्यायपंचायतों की संख्या 7 थी जिसमें मधुकरपुर, गोविन्दपुरभीरा, (उत्तरी भाग), घुरवारा एवं राधाबालमपुर (मध्यवर्ती भाग), ऐहार (पश्चिमी भाग), धमधमा (दक्षिणी–पूर्वी भाग) तथा थुलरई (उत्तरी–पूर्वी भाग) न्यायपंचायतें थीं। वहीं तीन दशक के पश्चात् 2019–20 में इस वर्ग में आने वाली न्यायपंचायतों की संख्या 7 ही रही, लेकिन उनकी अवस्थिति परिवर्तित होकर थुलरई, बिन्नावा, रसूलपुरधरावां एवं सुट्ठाहरदो में सम्मिलित हो गयी जबकि गौण संकेन्द्रण उत्तरी भाग (मधुकरपुर एवं कठगर), पष्चिमी भाग (मखदूपुर) एवं मध्यवर्ती भाग में राध्ससबालमपुर, जलालपुरधई एवं थुलरई में निम्न भूमि उपयोग दक्षता हो गयी। क्योंकि इन न्यायपंचायतों में सिंचाई के साधनों में घट़ोत्तरी होने के साथ–साथ आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग का स्तर भी निम्न होने एवं वन भूमि, कृषि योग्य एवं कृषि अयोग्य भूमि का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण भूमि उपयोग दक्षता में भी घट़ोत्तरी हुआ है।

अति निम्न भूमि उपयोग दक्षता स्तर– इस वर्ग में 1.25 से अधिक विचलन सूचकांक वाली न्यायपंचायतों को सम्मिलित किया गया है जहां निम्नतम कृषित भूमि, दो फसली भूमि एवं सिंचित भूमि साथ–साथ उच्चतम वन भूमि, कृषि अयोग्य भूमि एवं कृषि योग्य भूमि पायी जाती है, जिनकी अवस्थिति प्रायः नदी तटीय अपरदित ऊबड़–खाबड़ क्षेत्रों में है जहाँ कृषि अवस्थापना तत्वों का समुचित विकास एवं उपयोग नही हो पाता।

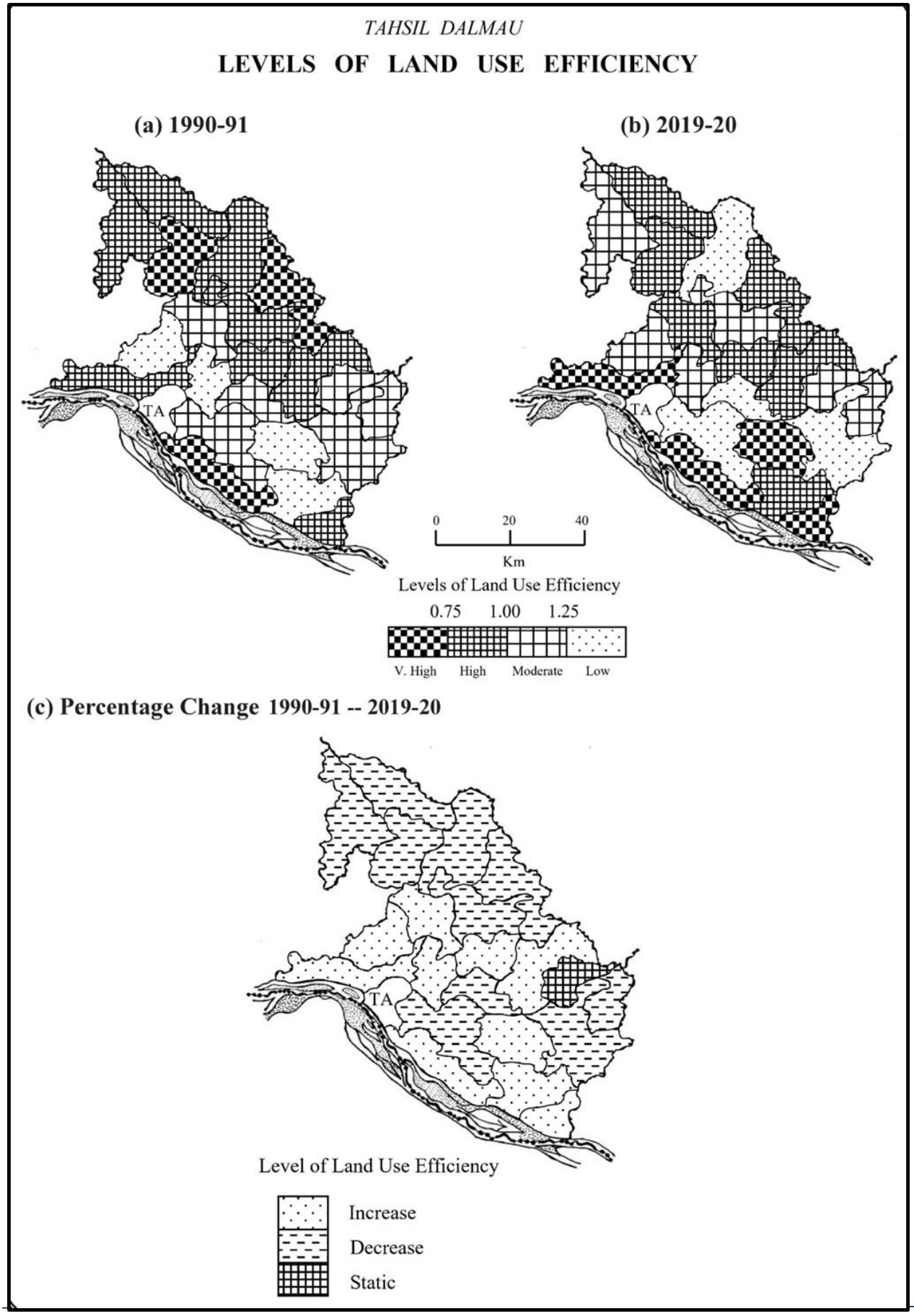
TAHSIL DALMAU
LEVELS OF LAND USE EFFICIENCY
(a) 1990-91
(b) 2019-20
TA
TA
0
20
40
Km
Levels of Land Use Efficiency
0.75
1.00
1.25
V. High
High
Moderate
Low
(c) Percentage Change 1990-91 -- 2019-20
TA
Level of Land Use Efficiency
Increase
Decrease
Static

मानचित्र–2

इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के परिवर्तित प्रारूप को देखें तो तहसील में वर्ष 1990–91 में अति निम्न भूमि उपयोग दक्षता के क्षेत्र दक्षिणी भाग में डलमऊ एवं रसूलपुरधरावां, पश्चिमी भाग में लोधीपुरउतरावां तथा उत्तरी भाग में न्यायपंचायत कठगर में था। जबकि वर्ष 2019–20 में मुख्य संकेन्द्रण दक्षिणी भाग में स्थित न्यायपंचायत डलमऊ, रसूलपुरधरावां एवं धमधमा में केन्द्रित हो गयी। क्योंकि इन न्यायपंचायतों में सिंचाई के साधनों में घट़ोत्तरी होने के साथ–साथ आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग का स्तर निम्न एवं वन भूमि, कृषि योग्य एवं कृषि अयोग्य भूमि का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण भूमि उपयोग दक्षता में भी घट़ोत्तरी हुआ है।

भूमि उपयोग दक्षता स्तर का परिवर्तित प्रारूप– अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग दक्षता स्तर के परिवर्तित प्रारूप (वर्ष 1990–91 एवं 2019–20) पर दृष्टिपात (मानचित्र–2) किया जाय तो ज्ञात होता है कि तहसील के दक्षिणी, मध्यवर्ती, पश्चिमी एवं पूर्वी भाग की न्यायपंचायतों क्रमशः डलमऊ, जलालपुरधई, रसूलपुरधरावां, धमधमा कोरौलीदमा, राधाबालमपुर, सुट्ठाहरदों, नरसवां, मखदूमपुर एवं थुलरई की भुमि उपयोग दक्षता स्तर में बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी जिसका मुख्य कारण इन न्यायपंचायतों में कृषि अवस्थापनात्मक तत्वों के विकास के साथ–साथ आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। वहीं तहसील के पश्चिमी भाग में स्थित न्यायपंचायत ऐहार, लोधीपुरउतरावाँ, उत्तरी भाग में न्यायपंचायत मधुकरपुर, गोविन्दपुरभीरा, कठगर, मध्यवर्ती भाग में न्यायपंचायत घुरवारा, बराराबुजुर्ग, भरसना तथा पूर्वी भाग में स्थित न्यायपंचायत अलावलपुर एवं गौराहरदो में घटोत्तरी हुई क्योंकि इन न्यायपंचायतों में सिंचाई के समुचित साधनों के अभाव के साथ–साथ कृषि अवस्थापनात्मक तत्वों का उपयोग नहीं हो रहा है जबकि उत्तरी–पूर्वी भाग में स्थित न्यायपंचायत बिन्नावा में भूमि उपयोग दक्षता स्थैतिक रही, क्योंकि यहाँ सिंचाई के अभाव में भूमि उपयोग एवं कृषि प्रतिरूप में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। अतः तहसील के भूमि उपयोग दक्षता स्तर में वृद्धि एवं असमानता को दूर करने हेतु सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर के उत्थान के साथ ही साथ कृषि अवस्थापनात्मक तत्वों के विकास एवं उपयोग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

संधृत कृषि विकास नियोजन – ग्रामीण जनता का प्रमुख व्यवसाय कृषि है एवं ग्रामीण आय के स्रोत का बहुत बड़ा हिस्सेदार है (*मिश्रा, 1985, पृष्ठ 106)*। इसलिए कृषि विकास में कृषि एवं कृषि अनुषंगीय व्यवसाय आधारित आर्थिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने की नीति सम्मिलित होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र का उचित भूमि उपयोग उस क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक मूल्यों तथा आर्थिक समृद्धता का द्योतक है (*सिन्हा एवं राय, 1993)*। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विकास का केन्द्र कृषि विकास है, क्योंकि यह ग्रामीण अर्थतंत्र की धुरी है। अतः किसी भी क्षेत्र के विभिन्न पक्ष के सम्यक अध्ययन एवं मूल्यांकन के पश्चात् वहॉ के भूमि उपयोग की रूपरेखा प्रस्तुत करना आवश्यक है जिससे अनुकूलतम भूमि उपयोग के अनुसरण के साथ–साथ भूमि संसाधन के दुरूपयोग को नियंत्रित किया जा सके। अध्ययन क्षेत्र में कृषि पर आधारित जीवन निर्वाहक भूमि उपयोग प्रारूप पाया जाता है जो परम्परागत होते हुए भी विकासोन्मुख कृषि अर्थतंत्र की ओर अग्रसर है। भूमि उपयोग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष कृषिगत भूमि उपयोग है, जिस पर अधिकाधिक जनसंख्या के भरण–पोषण का भार रहता है। अध्ययन क्षेत्र में अनुकूलतम भूमि उपयोग की स्थिति की प्राप्ति में भौतिक कारक के साथ–साथ मानवीय कारक भी अवरोधक हैं। अतः

अध्ययन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए भूमि उपयोग नियोजन हेतु प्राकृतिक एवं सामाजार्थिक पहलुओं को ही प्रमुखता दिया गया है। इसलिए समय–समय पर भूमि उपयोग प्रारूप का मूल्यांकन कर भूमि के प्रत्येक टुकड़े का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कारगर उपाय आवश्यक है, जो निम्नलिखित है :

- ऊबड़–खाबड़ एवं बीहड़ीकृत क्षेत्रों में समतलीकरण तथा मेड़बन्दी सुनिश्चित करना।
- ऊसर भूमि का सुधार एवं ऊसरीकरण प्रक्रिया पर नियंत्रण हेतु उपचारात्मक एवं सुधारात्मक उपायों को सुनिश्चित करना।
- उपजाऊ कृषिगत भूमि पर ईंट निर्माण, आवास निर्माण या अन्य गैर कृषिगत कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध हेतु सख्त कानून बनाना।
- मृदा उर्वरता में संधृत अभिवृद्धि हेतु आर्गेनिक फार्मिंग उपाय यथा जैव उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग एवं वर्मी कम्पोस्ट को अंगीकार करना।
- कृषि योग्य भूमि का सुधार करके कृषित भूमि में सम्मिलित किया जाय।
- नीलगाय, बन्दरों, सुअर आदि से बचाव के लिए घुइयां, आलू, सूरन आदि फसलों के बुआई पर जोर दिया जाय तथा पशुओं से बचाव हेतु कनाडा देश के रेण्डियर पद्धति पर अमल किया जाय।
- स्थानीय भौगोलिक दशाओं के अनुरूप कृषि व्यवसायों को कायम रखना।
- मृदा एवं मौसम अनुकूल शस्यों के चयन को सुनिश्चित करना।
- सामाजार्थिक परिस्थितियों के अनुरूप शस्य चक्र को कायम करना।
- मिलवा/अन्तः शस्यन पद्धति को अंगीकार करना।
- रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना।
- पौष्टिक खाद्यापूर्ति हेतु पौष्टिकता की दृष्टि से शस्यों का चुनाव करना।
- सघन शस्योत्पादक क्षेत्रों में जलीय, उद्यानी आदि कृषि पद्धति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुर्ण कालिक रोजगार हेतु हस्तशिल्प/कुटीर उद्योगों को सुनिश्चित करना।
- अधिक उत्पादन एवं शीघ्र पकने वाली शस्यों का चयन करना।
- अनुकूलतम सिंचाई हेतु तकनीकी विकास के साथ–साथ परम्परागत जलाशयों का विकास कर धरातलीय जल के अधिकतम उपयोग एवं भूमिगत जल पर निर्भरता को कम करके जल स्तर में अभिवृद्धि सुनिश्चित करना।
- एकीकृत कृषि प्रबन्धन यथा एकीकृत कृषि अनुषंगीय व्यवसाय प्रबंधन, पोषण प्रबन्धन, एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत जल प्रबंधन, एकीकृत बीज प्रबन्धन, एकीकृत फार्मिंग, एकीकृत फसल प्रबन्धन आदि पद्धतियों पर बल देना, जिससे कृषिगत विविधता में अभिवृद्धि हो सके।
- सिंचित एवं असिंचित दोनों क्षेत्रों के कृषकों को कृषि बीमा (फसल बीमा, पशु बीमा, उद्यानी कृषि बीमा, सुनिश्चित कृषक दुर्घटना बीमा, अन्य कृषि अनुषंगीय व्यवसाय बीमा) सुनिश्चित करना।

- कृषिगत विविधता में अभिवृद्धि करने हेतु कृषि आधारित उद्योगों यथा फल, गन्ना, सब्जी, गेंहूँ, तेल, दुग्ध, मांस, ऊन, कपास आदि औद्योगिक संस्थानों की स्थापना व विकास हेतु प्रशिक्षण/सस्ता ऋण/वितरण केन्द्रों की स्थापना/त्वरित यातायात संचार आदि को गुणवत्ता युक्त प्रभावी रूप से सुनिश्चित करना।

सन्दर्भ सूची

1. Barlow, R. (1958), "**Land Resource Economics: The Political Economy of Rural and Urban land Resource Use**," prentice Hall, New York. Englewood Cliff, N. S., p. 12
2. Barlow, R and Johnson, V.W. (1954), "Land **Problems and Policies**," Mc Graw Hill Book Co. , Network, p.29.
3. Bannet H.H. (1939), "**Soil Conservation**," p.94
4. भूमि उपयोग परिषद (1996), "उत्तर प्रदेश मे वनीकरण/वृक्षारोपण द्वारा अपघटित भूमि उपयोग नियोजन, " उत्तर प्रदेश सरकार, पृ0 64–65।
5. Chandel, R.S. (1991), "**Agricultural Change in Bundelkhand Region**," Star Distributor Varanasi, pp. 79-80.
6. Chandel, R.S. and Asthana, S.P. (1992), "Spatio Temporal Imbalances in Agricultural Efficiency in Ganga Plain," **NGJI**, Vol.42, pt.1 & 2, pp. 106-115.
7. Chandel, R.S. and Singh, V.R. (1992), "Problems and Prospects of Dry land Agriculture in India: An Analytical Study" (Hindi), **Geo. Science journal**, Vol.6, pt 1&2. pp. 41-53.
8. चौधरी, सी0 एम0 (2008), "भारतीय कृषि का विश्लेषणात्मक विवेचन", **कुरुक्षेत्र**, अंक 9 (जुलाइ), पृ0 26।
9. चौहान, ए0 के0 (2006), "आधुनिक खेती के विकास की आवश्यकताए एवं सुझाव", **प्रतियोगिता दर्पण** (जुलाई), पृ0 2207.।
10. Chauhan, D.S. (1966), "**Study in Utilization of Agricultural Land**", pp. 166-175.
11. कमलेश, एस0 आर0 एवं ठाकुर, आर0 के0 (1996),"विलासपुर संभाग में कृषि भूमि उपयोग की समस्याएंः एक भौगोलिक अध्ययन'', **उत्तर भारत भूगोल पत्रिका** अंक 32, संख्या 1–2 (जून दिसम्बर), पृ0 39–44।
12. मुकेश चन्द्र (2004), "बुन्देलखण्ड़ की बंजर भूमि मे हरियाली", **कुरुक्षेत्र**, अंक 8 (जून), पृ0 27।
13. NRSA (1995), "**Report on Area Statistiks of Land Use Land Cover Generated: Using Remote Sensing Techniques**," Cartography and Map, Printing Group NRSA, Hyderabad. p. 21.
14. पटेल, आर0 बी0 (1999), "गण्डक नहर क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) में भूमि उपयोग का गत्यात्मक स्वरुप" , **भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका**, पृ0 1–14 ।

15. Singh, B. (1977), "Land use: Its Efficiency. Stages and Optimum Use, **NGJI**, p. 63.
16. Singh, V.R (1962), "Land utilization in the Never hood of Mirzapur, U.P," **PhD Thesis Pub** (1970), BHU, Varanasi.
17. Singh, M.B. and Chandel, R.S. (1990), "An Assessment of Agricultural Changes in Three Villages of Jaloun District in Uttar Pradesh," **Geographical Iugoslavica (Yugoslavia)**, Vol.12, pp 77-85.
18. Singh, M.B. and Chandel, R.S. (1998), "An Appraisal and Management of Waste Lands: A Case Study," **NGJI** , Vol. 44, No.1-4, pp 173-180.
19. Singh, V.R. and Chandel, R.S. (1990), "Pulse Production in, Utter Pradesh: Problems and Prospects," **Geo Science Journal**, Vol.5, No 1-2, pp. 9-16.
20. Singh, V.R. and Chandel, R. S. (1991), Changes in Crop Combination Regions in Bundelkhand Regions: A Case Study, **Geosphere**, Vol.1, No.1, pp 46-
21. Stamp, L.D. (1962), "**The Land of Britain: Its Use and Misuse**", London, p.426.
22. श्रीवास्तव, एन0 बी0 (1990), " सामाजिक बानिकी–एक विश्लेषण", **कुरुक्षेत्र**, अंक 6 (अप्रैल), पृ0 33।
23. **Technical Task Group Report** (1986), "राष्ट्रीय बेकार भूमि विकास समिति, वन मंत्रालय, भारत सरकार।
24. Tyagi, B.S. (1972), "Agricultural Intensity in Chunar Tahsil, District Mirzapur, U.P". **NGJI**, Vol. 19, NO.1, pp. 42-48.
25. Vennzetli, C. (1972), "Land **use and Natural Vegetation in International Geography**", Edited by W. Peter Adares Fredrick M. Melleiner, Toronto University press. pp. 1105- 1106.